XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

27-11-2011

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व विविध वाद संख्या–100/2008
बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

बरसी देवी, पति–स्व0 नटवा टुडु, साकिन–कचहरी बलुआ (मलिनियाँ), थाना–सरसी, जिला–पूर्णियाँ............

आवेदिका

बनाम्

बिहार सरकार.................

विपक्षी

आदेश

यह विविध वाद आवेदिका के पति स्व0 नटवा टुडु द्वारा अपनी पत्नी (आवेदिका) के चिकित्सा हेतु जमीन बेचने की अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रारम्भ किया गया था। पति की अचानक मृत्यु के उपरान्त आवेदिका मौजा–कचहरी बलुआ, थाना नं0–56, खाता नं0–534, खेसरा नं0–798, रकवा–28 डिसमिल (सात कट्ठा) जमीन बेचने की बात रोहित रमानी, पिता–दीना रमानी, साकिन– कचहरी बलुआ मलिनियाँ (बथान टोला), थाना–सरसी, जिला–पूर्णियाँ के साथ तय कर अग्रिम के रूप में कुछ राशि भी प्राप्त की है। आवेदिका के पति के हिस्से में 2.14 1/4 एकड़ जमीन है, जिसका रसीद भी कटा रही है। 28 डिसमिल जमीन बेचने के बाद आवेदिका को 1.86 1/4 एकड़ जमीन बच जाती है और आवेदिका भूमिहीन की श्रेणी में जमीन बेचने के बाद नहीं आयेगी।

अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा आवेदिका के चिकित्सा के प्रयोजन से जमीन बेचने की बात की पुष्टि किये हैं और जमीन बेचने की अनुमति के लिये अनुशंसा किये हैं।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदिका को अपनी चिकित्सा कराने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 27/11 — समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

(हस्ताक्षर) 27/11 — समाहर्त्ता, पूर्णियाँ